



कार्यालय प्रधानाचार्य, एस०एन० मेडिकल कॉलेज, आगरा।

Phone No: 0562-2260353, 2463880 Fax No: 0562-2260965

Website: www.snmcagra.in E-Mail: deansnmc@yahoo.in

संख्या: ई०सी०-१/विज्ञप्ति/२०२१/७०६

दिनांक : २८/०८/२०२१

—सेवायोजन विज्ञप्ति—

उ०प्र० शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-१, लखनऊ के शासनादेश संख्या: ४६६१/७१-१-०८-जी-६३/२००८, दिनांक १५.१२.२००८ पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या: एम०ई०-२/२०१५/१९१६, दिनांक २१.०९.२०१५ एवं समय-समय पर पारित अन्य संविदा शासनादेशों के क्रम में निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, लखनऊ के माध्यम से इस कार्यालय के विज्ञप्ति संख्या: ई०सी०-१/विज्ञप्ति/२०२१/२०५, दिनांक २५.०३.२०२१ के द्वारा हिन्दी दैनिक सामाचार पत्रों में सेवायोजन विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने के क्रम में इस चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विशिष्टताओं में आचार्य, सह-आचार्य तथा सहायक आचार्य के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु साक्षात्कार (वॉक-इन-इन्टरव्यू) दिनांक ०४ सितम्बर, २०२१ (शनिवार) को एस०एन० मेडिकल कॉलेज, आगरा के प्राचार्य कार्यालय में प्रातः ११ बजे से सायं ०१ बजे के मध्य सम्पन्न किये जायेंगे।

उक्त संविदारत पदों पर चयन की प्रक्रिया प्रधानाचार्य/चयन समिति की संस्तुति के आधार पर अन्तिम चयन उ०प्र० शासन/महानिदेशालय, लखनऊ के स्तर से पूर्ण की जायेगी। रिक्त पदों को समय-समय पर आरक्षण हेतु जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। पदों की संख्या घटाई-बढाई जा सकती है। रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है—

S. N.	Department	Professor				Associate Professor				Assistant Professor			
		GEN	OBC	SC	EWS	GEN	OBC	SC	EWS	GEN	OBC	SC	EWS
1.	Orthopaedics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1***	-
2.	Emergency Medicine	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Community Medicine (SPM)	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
4.	Cardiology	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
5.	Cardio-Vascular & Thoracic Surgery	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
6.	General Medicine	-	-	-	-	-	-	-	1*	1	1	1	-
7.	General Surgery	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
8.	Transfusion Medicine	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Dermatology, Venereology & Leprosy	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
10.	Nuclear Medicine	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Neuro Surgery	-	1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Paediatrics	-	-	1	-	-	1	1	1*	-	1	-	-
13.	Physiology	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
14.	Forensic Medicine	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
15.	Biochemistry	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
16.	Radio-Diagnosis	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
17.	Psychiatry	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
TOTAL		01	03	03	-	04	06	02	02	03	05	04	-

नोट—*उ०प्र० शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-१, लखनऊ के पत्र संख्या: ३६७/७१-१-२०२०-जी-१९५/२०१५, दिनांक २६.०२.२०२० पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ के पृष्ठांकन संख्या: एम०ई०-२/२०२०/४६६-४८, दिनांक ०३.०३.२०२० के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उक्त रिक्त पदों को पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनारक्षित वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा। **न्यूरो सर्जरी विशिष्टता में आचार्य (अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी) का पद ट्रोमा सेन्टर में सृजित है। ***अस्थि रोग विशिष्टता में सहायक आचार्य (अनुसूचित जाति श्रेणी) का पद पी०एम०आर० में सृजित है।

इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह National Medical Commission/Medical Council of India, Minimum Qualification for Teachers as per Medical Institutions Regulations, 1998 के मानकों के अनुसार उक्त फार्म को डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों एवं शैक्षिक/जाति/अनुभव/शोध/आधार कार्ड/पैन कार्ड पत्रों की (स्व-प्रमाणित) छायाप्रति संलग्न कर ०१ सेट एवं ०१ पासपोर्ट फोटों सहित साक्षात्कार स्थल पर उपस्थित हों। इस यात्रा हेतु किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू हो जाने के कारण संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत् हैं:-

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश संख्या: 104/2019/5044(1)271-1-2019-जी-63/2008, दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियत वेतन (रु० 135000/-आचार्य, रु० 120000/-सह-आचार्य एवं रु० 90000/-सहायक आचार्य) प्रतिमाह देय होगा।
2. वेतन के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
3. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता एवं शैक्षिक अनुभव उ०प्र० राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) नियमावली 2005, 2018 एवं 2020 में निहित के अनुसार होगी।
4. चिकित्सा शिक्षकों की संविदा पर अधिकतम आयु सीमा सहायक आचार्य-60 वर्ष, सह-आचार्य-64 वर्ष एवं आचार्य-68 वर्ष वाले ही अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते हैं।
5. ओ०पी०डी० के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
6. प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
7. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा ड्यूटी उपलब्ध रहना होगा।
8. संविदा पर नियुक्त/कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती/स्थानान्तरण के माध्यम से नियमित चिकित्सा शिक्षक के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है।
9. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 01 वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात् लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवाका पुनः बढ़ाया जा सकता है।
10. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त कालावधि में कार्यभार न ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।
11. संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक भविष्य में विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
12. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि "उनके विरुद्ध माननीय न्यायलय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी"।

प्रधानाचार्य,
एस०एन० मेडिकल कालेज,
आगरा।

संख्या एवं दिनांक तद्

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. कुलसचिव, उत्तर प्रदेश आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ/कानपुर/झाँसी/प्रयागराज/गोरखपुर/आजमगढ़/अम्बेडकरनगर/जालौन/कन्नौज/सहारनपुर/बौदा/बदौयू को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कॉलेज नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने की कृपा करें।
6. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या/बहराईच/बस्ती/फिरोजाबाद/शाहजहाँपुर/प्रतापगढ़/एटा/मिर्जापुर/सिद्धार्थनगर/हरदोई/गाजीपुर/फतेहपुर/देवरिया/जौनपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कॉलेज नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने की कृपा करें।
7. एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा के नोटिस बोर्ड हेतु।

प्रधानाचार्य,
एस०एन० मेडिकल कालेज,
आगरा।